न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

(1) प्रकरण संख्या 53/2017 (उदयपुर डिक्री)

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जवानसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरूसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पुश्पा पुत्री वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. डूलेसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, नाबालिग जरिये माता श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

(2) प्रकरण संख्या 55/2017 (उदयपुर डिक्री)

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. जवानसिंह पिता भैरूसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. भेरूसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. पुश्पा पुत्री वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

5. डूलेसिंह पिता वगतसिंह जी राजपूत, नाबालिग जरिये माता श्रीमती जड़ावबाई बेवा वगतसिंह जी राजपूत, निवासी जसुजी का गुड़ा, मदार, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

6. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..............रेस्पोन्डेन्टगण

अपीलें अन्तर्गत धारा–223 रा0का0अ0
1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक
कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा प्रकरण
संख्या 438/2013 क्रमशः दिनांक
18–05–2017 एवं 02–02–2017

———::———

<u>उपस्थित (वक्त बहस)</u> 1– श्री नरे ा जणवा अभिभाशक अपीलान्ट
2– श्री जी.एस. मेहता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3– श्री कमले ा चौहान राजकीय अभिभाशक

———::———

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 05–10–2021</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ब्राहमणों की हुन्दर में वाद पत्र के साथ सलंग्न परि िश्ठ ''अ'', ''ब'', ''स'', ''द'' की आराजियात स्थित हैं, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित है एवं वादी इसी अनुसार उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। अतः वाद वर्णित आराजियात का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से खण्डन का जवावदावा प्रस्तुत कर काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसका जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम की गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी का वाद मयाद अधिनियम की धारा 27 तथा अनुच्छेद 65 के तहत बार्ड बाई लॉ होने से पोशणीय नहीं है, क्योंकि वादी स्वयं ने यह कथन किया है कि 35–40 वर्शो पूर्व बंटवारा [illegible] मयाद अधिनियम के

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

अनुसार 12 वर्शो से अधिक समय व्यतीत हो जाने से वादी का वाद पोशणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त आवेदन पर उभयपक्षों को सुनने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत आदे ा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जा. दी. का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। तत्प चात् वादी के वाद पर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 02—02—2017 से स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री किया एवं प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 18—05—2017 को अंतिम डिक्री जारी की।

उक्त प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02—02—2017 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 55/2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18—05—2017 के विरूद्ध अपील संख्या 53/2017 इस न्यायालय में दिनांक 01—06—2017 को प्रस्तुत की।

उक्त दोनों ही अपीलें अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 438/2013 के विरूद्ध प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अतः दोनों अपीलों का एक ही निर्णय लिखाया जाना हम उचित समझते हैं। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों पर संलग्न रहे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री जी. एस. मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री कमले ा चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध अपील मयाद बाहर होने से अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन देरी के कारणों को उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया एवं ताईद में भापथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमारे द्वारा उक्त आवेदन का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट [illegible] कि प्रारम्भिक डिक्री उनकी अनुपस्थित में जारी की गयी है तथा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में बंटवारा

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

रिपोर्ट तैयार करते समय अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है। अधिनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से रेस्पोन्डेन्ट का वाद डिक्री किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेशित किया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाशक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए दोनों अपीलें खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजियात अपीलान्ट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम 1/2, 1/2 हिस्से से दर्ज है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने 1/2 हिस्से के विभाजन का वाद अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसके जवाब में अपीलान्ट द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर विवादित आराजियात का 50 वर्श पूर्व बंटवारा होने का कथन किया गया है, किन्तु पक्षकारों के मध्य पूर्व में किसी प्रकार का बंटवारा होना साबित नहीं होने से एवं वादी/रेस्पोन्डेन्ट 1/2 हिस्से का रेकार्डेड खातेदार होने से अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट/वादी का वाद स्वीकार कर बंटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी की जो विधि सम्मत है। तत्प चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः उक्त दोनों अपीलें सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक निर्णय व डिक्री दिनांक 02–02–2017 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 18–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 05–10–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.........मुकाम..............उदयपुर............
व इजलास ....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, नि0 जसुजी का गुड़ा, मदार, तह0 गर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

जवानसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, नि0 जसुजी का गुड़ा, मदार, तह0 गिर्वा, उदयपुर व अन्य

अपील नं.......55/17.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) ....गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे.............02...............माह.............02.............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........05....माह........10.......सन् 2021 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री नरे ा जणवा....मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री जी. एस. मेहता

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 02–02–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........05......माह.......10...........2021 को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(**Civil Procedure Code Appendix 'G'-9**)

अज अदालत............भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ..........मुकाम...............उदयपुर.............
व इजलास ....एम. एल. चौहान, आर.ए.एस. ....

इन्दरसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, नि0 जसुजी का गुड़ा, मदार, तह0 गर्वा, जिला उदयपुर <u>बनाम</u> जवानसिंह पिता भैरूसिंहजी राजपूत, नि0 जसुजी का गुड़ा, मदार, तह0 गिर्वा, उदयपुर व अन्य

अपील नं.......53/17.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) ....गिर्वा.......... मुकाम................मुवर्खे............18...............माह.............05.............2017

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........05....माह........10.......सन् 2021 रूबरू........पक्षकारान व हाजरी......श्री नरे ा जणवा....मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री जी. एस. मेहता

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करते हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.......)........रूपये .... **X**...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... **X** ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........05......माह.......10...........2021 को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L. Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.11.16 12:21:22 IST
Reason: SelfAttested